कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी- 217 दिनांक: 29/7/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 26.वीं दिनांक 17/7/2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 269 दिनांक 17/7/2002 प्रात:/सायं 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वंरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 26वीं बैठक दिनांक 17-7-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

1. **विषय:- जलमहल गृ.नि.स.स. की योजना हरी नगर।**

उपायुक्त जोन बी-7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों कआधार पर निर्णय लिया गया कि 100' चौडी सडक का एलायमेंट प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ही रखा जावे एवं इस एलायमेंट को निर्धारित करने से प्रभावित होने वाले भूखण्डों के संबंध में उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि इन भूखण्डों को किस स्थल पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है हएवं जिन भूखण्डों में आंशिक भाग उपलब्ध होता है उनका क्या क्षेत्र उपयोग सम्भव है। इसकी जांच के उपरान्त ही योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे।

2. **विषय:- गुलावबाडी गृ.नि.स.स. की योजना बृजमण्डल।**

उपायुक्त जोन बी-7 द्वारा प्रस्तुत हएजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि समीपवर्ती योजना से इस योजना के लिए संपर्क सडक(अप्रोच) उपलब्ध हो सकती है अथवा नहीं, इस संबंध में उपायुक्त जोन मौका निरीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।

3. **विषय :- शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना सत्य नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 31 के नियमन के संबंध में।**

उपायुक्त जोन बी-7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-

(1) सहकारी समिति द्वारा अपने योजना मानचित्र में 31 नम्बर भूखण्ड को नहीं दर्शाया गया था एवं भूखण्ड संख्या 1 से 30 तक के भूखण्ड ही योजना में दर्शाये गये थे। अत: भूखण्ड संख्या 31 को योजना का भूखण्ड ना मानकर अलग(INDIVIDUAL) भूखण्ड माना जावे।

(2) भूखण्ड संखा 31 को राजकीय भूमि पर सृजित किया गया है अत: भूखण्ड का नियमन सरकारी भूमि मानते हुए नियमानुसार निर्धारित दर लेके नियमित किया जावे।

(3) भूाखण्ड संख्या 31 का आवंटन पत्र शंकर गृ.नि.स.स. के पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया है जबकि भूखण्ड संख्या 31 को योजना मानत्रि में ही उनके द्वारा दर्शाया नहीं गया तथा भूखण्ड संख्या 31 को सरकारी भूमि पर सृजित किया गया है जो सहकारी संपत्ति के आधिपत्य की भूमि नहीं थी अत: उपायुक्त जोन द्वारा सहकारी संपत्ति के पदाधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 17.7.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में लालकोठी योजना के संबध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(32)नविवि/3/2001 जयपुर दिनांक 6.12.2001 के द्वारा लाल कोठी योजनान्तर्गत अवैद्य निर्माण/अतिक्रमणों के नियमन बाबत आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के अनुसार लाल कोठी योजना में सभी निर्मित एवं रिक्त भूखण्डों को एक समान ही नियमन किये जाने के आदेश हैं। इन आदेशों के तहत 200 वर्ग गज तक के भूखण्डों के नियमन हेतु आरक्षित आवासीय दर का 25 प्रतिशत तथा 200 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का नियमन आरक्षित दर का 35 प्रतिशत नियमन राशि प्राप्त की जाकर कार्यवाही की जानी है।

लालकोठी योजना में स्थित गृ.नि.स.स. की योजनाओं में अवैद्य कब्जेधारियों के भूखण्डों के नियमन बाबत निम्न निर्णय लिये गये।

1. विषयान्तर्गत योजना मानचित्रों के उपर तकनीकि विश्लेषण अंकित नहीं किया जावें।
2. योजना में नियमन योग्य भूखण्डों में सैट बैक्स जविप्रा भवन विनियम, 2000 के अनुसार लगाये जावें।
3. (a) नियमन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल यदि प्रार्थी को पूर्व में सहकारी समिति द्वारा आवंटित क्षेत्रफल से अधिक हैं तो ऐसे भूखण्डों के नियमन के समय बढे हुए क्षेत्रफल को अतिरिक्त भू-पट्टी (केवल 100 वर्ग गज तक) का मामला मानते हुए आवंटित कर नियमानुसार लाल कोठी योजना की आरक्षित दर प्रत्येक वर्ग गज (बढे हुए क्षेत्रफल के लिए)वसूल की जावें।

   (b) यदि भूखण्ड मे बढा हुआ क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से अधिक है तो प्रत्येक ऐसे मामले का परीक्षण कर (कि क्या बढे हुए क्षेत्रफल को स्वतंत्र भूखण्ड मानते हुए निष्पादन किया जा सकता हैं अथवा नहीं) बीपीसी के समक्ष निर्णय हेतु रखा जावें।
4. लालकोठी योजना में स्थित गृ.नि.स. समिति के अस्तित्व को ना मानते हुए अवैध कब्जेधारी भूखण्डों के नियमन के अभियान में इन योजनाओं की पहचान सैक्टर के रूप में की जावें।

लाल कोठी योजनाओं में स्थित अवैध भूखण्डधरियों के भूखण्डों को नियमन के मामलों में उपरोक्त निर्णयो को दिशा निर्देश मानते हुए बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 17.7.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से लालकोठी योजना के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. मीणा गृ.नि.स.स. की रघु विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में।
2. जय चामुन्डा गृ.नि.स.स. की सत्य विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. मीणा गृ.नि.स.स. की रघु विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन लालकोठी) कमेटी की बैठक दिनांक 13-5-2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-
   1. रघु विहार योजना में भूखण्ड संख्या आर-18 के पश्चिम में स्थित भूखण्ड एवं योजना में एम.एल.ए. फ्लेट्स निर्मित होने के कारण योजना का भाग नहीं मानते हुए केवल भूखण्ड संख्या R-1 से R-14, R-14-A, R-18 का जोन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र अनुसार नियमन किया जावें।
   2. भूखण्ड सं0 R-15, R-16, R-17 में कोर्ट स्टे के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण निर्णय स्थगित रखा जावें।
   3. इन भूखण्डों मे सैट बैक्स जविप्रा भवन विनियम 2000 के अनुसार ही रखें जावें।
   4. योजना मानचित्र पर तकनीकि विश्लेषण अंकित नहीं किया जावें।

2. जय चामुन्डा गृ.नि.स.स. की सत्य विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन लालकोठी) कमेटी की बैठक दिनांक 13-5-2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना मानचित्र पर तकनीकि विश्लेषण अंकित नहीं किया जावें।
2. योजना में नियमन योग्य भूखण्डों मे सैट बैक्स जविप्रा भवन विनियम 2000 के अनुसार ही रखें जावें।
3. भूखण्ड संख्या 6, 8, 15, 16-ए, 20 के अग्र सैट बैक्स-II (लिंक रोड 30' की तरफ) एवं भूखण्ड सं0 16-ए के साइड सैट बैक में जोन द्वारा लगाये गये सैट बैक का निर्णय माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात् किया जावेगा।
4. योजना में 80' सडक से भूखण्ड संख्या 1, 47, 48, व 52 के पश्चिम की ओर से Approach Road दी गयी हैं जिससे लालकोठी योजना के भूखण्ड प्रभावित है। इस भू भाग पर पूर्व में भूखण्ड प्रस्तावित हैं। अतः इस विषय पर जांच हेतू माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मौका निरीक्षण किया जावेगा।
5. भूखण्ड संख्या 23 व 24, 49 व 50 पर दो भूखण्डों पर एक कम्पाउन्ड वाल निर्मित हैं अतः नियमन के समय समिति द्वारा दिये गये आवंटन पत्र से जांच कर कार्यवाही की जावें यदि इसमें कोई कठिनाई आती हैं तो उसका अलग से परीक्षण कर निर्णय हेतू बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 17.7.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 की गणपती गृ.नि.स.स. की बालाजी विहार II गोविन्दपुरा, कालवाड रोड के पीछे के संबंध में प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि -

3. योजना पृथ्वीराज नगर योजना के सेक्टर 26 मे स्थित हैं अतः सर्वप्रथम वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा इस सेक्टर का रोड नेट वर्क तैयार किया जावें तत्पश्चात प्रस्तावित रोड नेटवर्क के परिपेक्ष्य में योजना का परीक्षण कर यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो समिति द्वारा योजना संशोधित कर बीपीसी द्वितीय (ले आउट प्लान) के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...26वीं...बैठक दिनांक...17-7-02...
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

विषय:- श्री भोनसेन गोगिया ख.नं. 3945,3946/499 ग्राम सांगानेर हवाई अड्डे के सामने पुलाई ओवर स्थित लेन में आने वाली भूमि को भू-उपयोग परिवर्तन एवं निःशुल्क समर्पित किये जाने को एवज में वाणिज्यिक रूपान्तरण शुल्क न लिए जाने के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । एजेण्डा के साथ मौके की रिपोर्ट न होने के कारण समिति ने निर्णय लिया कि विस्तृत एजेण्डा के साथ मौके की स्थिति रिपोर्ट उपायुक्त जोन द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 26वीं बैठक दिनांक 17-7-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- निजी खातेदार श्री रामनारायण पुत्र श्री रामचरण के ख.नं. 235/423 रकबा 0.24 हेक्टेयर ग्राम जगतपुरा में बृजविहार विस्तार योजना अनुमोदन के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम (अग्रवाल कुंज) :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य समिति के समक्ष आया कि शेखर भवन गृ.नि.स.स. की योजना बृजबिहार विस्तार जो पूर्व में भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28-2-2002 में स्वीकृत की गयी थी, जिसमें इस खातेदार की भूमि भी शामिल थी। स्वीकृत योजना में इस भूमि पर 60-0" चौड़ी सड़क एवं पैसिलिटी एरिया दर्शाया गया था। इस भूमि की पूर्व में 90 बी भी नहीं हुई थी। निजी खातेदार द्वारा इस भूमि में योजना प्रस्तुत करने पर अब इस भूमि की 90 बी की गयी है। इस प्रकार समिति का इस भूमि का स्वामित्व नहीं होने पर भी योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के कारण समिति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाये जाने तथा जोन द्वारा भूमि की स्वामित्व के संबंध में की गई जाँच में हुई अनियमितताओं के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर जाँच किए जाने व निजी खातेदार की भूमि के स्वामित्व के संबंध में पुनः जाँच सचिव द्वारा किये जाने के पश्चात् प्रकरण को पुनः भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 26वीं बैठक दिनांक 17-7-2002 को प्रातः 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य
3. श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा,जयपुर।
4. श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर। सदस्य
5. श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व,जविप्रा,जयपुर। सदस्य
5. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
5. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
6. श्री गिरिराज अग्रवाल,उपायुक्त जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर।
7. श्री निरंजन खींचा,उपायुक्त, लालकोठी जोन,जविप्रा,जयपुर।
8. श्री सुनील भाटी,उपायुक्त जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर।
9. श्री हनुमान सिंह शेखावत,उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
10. श्री भीमा राम चौधरी, उपायुक्त जोन सी-2,जविप्रा,जयपुर।
11. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा,जयपुर।
12. सहायक नगर नियोजक, जोन लालकोठी, जविप्रा, जयपुर।
13. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर।
14. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-7, जविप्रा, जयपुर।
15. सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर।
16. सहायक नगर नियोजक, जोन डी-2, जविप्रा, जयपुर।